# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 814/2017

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. गुमानसिंह पुत्र अमरसिंह<br>2. इन्द्रा कंवर पत्नी अमरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खारीया नींव, तहसील सोजत, जिला—पाली, (राजस्थान) | | 1. शिवदान पुत्र ढगलाराम<br>2. चुन्नीलाल पुत्र देवाराम<br>3. गुणेश पुत्र देवाराम जाति सीरवी निवासीगण खारीया नींव, तहसील सोजत, जिला—पाली,<br>4. तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली, राजस्थान |

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री भवानीसिंह जैतावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री दशरथ सिंह चारण अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित ।

—: निर्णय :— दिनांक :—07.11.2017

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर सरहद—मौजा खारीया नींव, तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 547, 550, 551, 551/1 कुल किता 04 कुल रकबा 3.5800 हैक्टर की अपनी खातेदारी भूमि में पहुंचने हेतु कदीम से वर्षो पूर्व का रास्ता जो खसरा नम्बर 541, 542 व 543 में से होकर विद्यमान मार्ग को चौड़ा व विस्तारित करते हए 12 फुट चौड़ा रास्ता पीढ़ियो से चला आ रहा है, की आत्यान्तिक आवश्यकता होने से उपलब्ध कराने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि जोत की भूमि खसरा संख्या 547, 550, 551, 551/1 कुल किता 04 कुल रकबा 3.5800 में आवागमन हेतु 12 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी जोत की भूमि खसरा संख्या 541, 542 व 543 में से प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। अप्रार्थीगण की अपनी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के चारों तरफ तारबन्दी करवा दी गई है, जिस वजह से प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में पहूंच का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं रहा है तथा न ही विकल्प में कोई अन्य रास्ता है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार मौजा खारीयानींव के खसरा संख्या 12 की निजी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 541, 542 व 543 में से 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. की बाद विधिक सुनवाई दिनॉक 19.07.2017 को स्वीकार किया गया। तथा धारा 251 ए के पृ0सं0 251 क के पृ0सं0 (iv) 'द' मे

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

वर्णित टंकण अर्थात लिपिकीय भूलवश अंकित ख0नं0 441, 442 व 443 के स्थान पर ख0नं0 541, 542 व 543 पढे जाने/दुरूस्ती के आदेश दिये गये। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया, जिसे बाद विधिक सुनवाई प्रभावहीन हो जाने से खारिज किया जा चुका है। अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह चारण ने अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना–पत्र गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खारिया नीवं की ख0नं0 547, 551, 551/1 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 541, 542 व 543 में कदीम से कभी भी नहीं रहा है न तो उक्त भूमि में कभी मार्ग रहा, न ही कोई पगडण्डी रही है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में दर्शित ख0नं0 अप्रार्थीगण के नही होना अंकित किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में जिस मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता बताई वह झूंठी व मनगठन्त है। प्रार्थी के कृषि व कृषि जोत में स्थित कमान में आवागमन हेतु रास्ता खारिया नींव से अटबड़ा रोड़ की तरफ पर्याप्त है। जिसका निर्बाध रूप से उपयोग/उपभोग से किया जा रहा है। पर्याप्त रास्ता होते हुए भी सुखाधिकार को लेकर अन्य और रास्ते की मांग कर रहा है। तहसीलदार, सोजत को मौका की वस्तुस्थिति यथा प्रार्थित रास्ते, वैकल्पिक निकटतम रास्ते की वस्तुस्थिति आदि की रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में ख0नं0 512 गै0मु0 गौचर से होता हुआ ख0नं0 555 की उतरी मॉठ के पास होकर ख0नं0 552 व 553 की माठ से होता हुआ है। प्रार्थीगण की कृषि जोत एवं मकान तक आज भी चालू हालत में है, प्रार्थीगण उपयोग/उपभोग कर रहे है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये ख0नं0 से मार्क के बीच ख0नं0 566 से होकर 537 तक भू संरक्षण विभाग द्वारा उक्त ख0नं0 के मध्य स्थित कृषि जोतो में पानी के भराव व सुरक्षा हेतु 1984 में राज्य कोष से लघुबांध (खड़ीन) निर्माण करवाया सही अवस्था में स्थित है। उक्त खड़ीन व पाल निर्माण में भारी राशि राजकोष से खर्च हई है, सार्वजनिक हित के दृष्टिगत राजकीय सम्पदा मे भारी राशि राजकोष से खर्च हुई है, सार्वजनिक हित के दृष्टिगत राजकीय सम्पदा को तोड़ा नहीं जा सकता है। गुगल मेप से भी प्रार्थीगण के कृषि जोत व मकान पर आने जाने का पर्याप्त चालू रास्ता आज भी निर्बाध रूप से चल रहा है, प्रार्थीगण उपयोग/उपभोग कर रहे है। आमोद प्रमोद व सुख सुविधाओं की दृष्टि से अन्य मार्ग की मांग करना गलत है। प्रार्थित मार्ग चौड़ा किये जाने के स्थल पर मार्ग नही है। बल्कि आज भी अप्रार्थीगण की फसल खड़ी व मकान बने है। राजकोष से निर्मित पाल को तोड़ कर मार्ग दिलाया जाना सम्भव नहीं है। मौकास्थिति के छाया चित्र से स्थिति स्पष्ट है। प्रार्थित मार्ग न तो अस्तित्व में था, न आज भी है। प्रार्थीगण के मकान से 500 मीटर की दूरी पर स्थित ख0नं0 553 की प्रार्थी व अन्य खातेदार की मिलती भूमि आज भी चालू रास्ते को नियमित रास्ते के रूप में देने हेतु सहमत है लेकिन प्रार्थी अन्य रास्ते की मांग कर रहा है। मात्र 50 मीटर रास्ता नियमन करने पर चालू रास्ते का नियमन किया जा सकता है। अन्य खातेदारों की भूमि होने से अप्रार्थी के रूप पक्षकारों के रूप में संयोजित नही किया है। रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता के मध्यनजर यदि प्रार्थी की कृषि जोत में आवागमन हेतु प्रार्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा यदि उसको उक्त रास्ता नही दिया तो अपनी कृषि जोत में आने जाने के लिये असमर्थ है, ऐसा होने पर ही चाहा गया मार्ग दिया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की कृषि जोत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

एवं मकान में आने जाने का पर्याप्त चौड़ा वर्तमान में संचालित व उपयोग/उपभोग में लिया गया रास्ता मौजूद है। जिसकी मौका रिपोर्ट राजस्व अधिकारी/कार्मिकों की न्यायालय में प्रस्तुत अनुसार उल्लेख है कि अन्य रास्ता आज भी चालू हालत में है जिससे आत्यान्तिक आवश्यकता की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थित नये रास्ते की मांग करते समय अन्य कोई भी विकल्प उक्त नये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक साधन/रास्ता उपलब्ध न हो। किन्तु हस्तगत प्रकरण में अन्य रास्ता मौजूद है व प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग/उपभोग किया जा रहा है। मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु अन्य प्रार्थित मांग की जा रही है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र मय अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क0सं0 1 से 8 के दस्तावेजात पेश कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी पूर्व से वैकल्पिक/पर्याप्त मार्ग/रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अन्य सुविधाजनक उपयोग हेतु प्रार्थित रास्ते हेतु पेश किया गया, जो कतई सम्भव नही होने से काबिल खारिज होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/17/73 दिनांक 05.09.2017 द्वारा प्रार्थित रास्ते की वास्तविक वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट एवं अन्य पूर्व से उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते की निकटतम दूरी तथा डी0एल0सी0 दर अनुसार देय मुआवजा राशि की वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, सा0मि0है। उक्त मौका रिपोर्टानुसार सरहद मौजा–खारियानीवं के वर्तमान ख0नं0 541, 542, 543, 544, 544/1, 547/1 रकबा 4=18 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है तथा ख0नं0 547, 550, 551, 551/1 रकबा 3.51 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना अंकित किया है। ख0नं0 544 में अप्रार्थी व इनके परिवार के आवासीय मकानात व कुआं रास्ता आदि स्थित है तथा ख0नं0 551 में प्रार्थी का पक्का आवासीय मकान व कुऑ स्थित है। प्रार्थी द्वारा ख0नं0 498 गै0मु0 रास्ता (सिवाय चक) से अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 541, 542 व 543 में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके ए से बी तक रास्ता चाहता है। जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 608+48+192=कुल 848 वर्गमीटर बनता है। ख0नं0 534, 536, 537, 538 जो प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि न होकर अन्य खातेदारो की है जिसमें मार्क सी से डी तक करीबन 4 से 5 मी0 तक भूमि उक्त खातेदारो द्वारा स्वयं के उपयोग व आवागमन हेतु छोड़ी गई है। जिसमें प्रार्थी शामिल नही है। आम रास्ता ख0नं0 498 से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि तक 212 मीटर व प्रार्थी के मकान व कुऍ तक आम रास्ता ख0नं0 498 से 500 मी0 दूरी पर है। ख0नं0 553 की भूमि जो प्रार्थी व अप्रार्थी की ना होकर अन्य खातेदार भैरूसिंह पुत्र धनसिंह राजपूत के नाम दर्ज है। जिसमे नजरी नक्शे में मार्क ई से एफ तक रास्ता अप्रार्थी प्रार्थी को देना चाहते है लेकिन प्रार्थी सहमत नही है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता गै0मु0 गोचर खसरा नम्बर 512 मे से स्थित रास्ते से सिवायचक भूमि ख0नं0 554 को छोड़ते हुए प्रार्थी की भूमि ख0नं0 551 तक (प्रार्थी का मकान एवं कुऑ) 115 मीटर दूरी पर स्थित है। ख0नं0 520/1 मे मार्क 'जी' से 'एच' तक रास्ते का रकबा 224 वर्गमीटर व खसरा नं0 553 मार्क 'ई' से 'एफ' तक रास्ते का रकबा 236 वर्गमीटर बनता है। खसरा नं0 520/1 अप्रार्थी व इनके परिवार की भूमि है जो नक्शे में है मार्क 'जी' से 'एच' तक मौके पर रास्ता मौजूद है जो चालू है व उसका क्षेत्रफल 224 वर्गमीटर है। उक्त मौकानुसार ख0नं0 541 व 543 में अप्रार्थी के सिंचाई हेतु उक्त भूमि मे पाईप लाईन डाली हुई है तथा पतरो का एक छोटा कमरा बना हुआ है। उक्त भूमि मे मौके पर फसल खड़ी है। ख0नं0

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

547 व 547/1 के मध्य ख0नं0 547/1 की अप्रार्थी की भूमि लगभग 2.5 मीटर चौड़ाई व उचाई की मिटटी की पाल तथा ख0नं0 538 मे दक्षिण की तरफ पूर्वी सीमा तक करीबन 4 मीटर चौडी पाल स्थित है जो 20–22 वर्ष पुरानी है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में मार्क 'बी' से 'सी' व खसरा नं0 538 के दक्षिण की तरफ पूर्वी सीमा तक मौके पर पाल मौजूद है। इस प्रकार ख0नं0 541, 542, 543 मे प्रस्तावित रास्ते का रकबा 848 वर्गमीटर बनता है तथा मौके पर रास्ता नही है। मांग की गई उक्त भूमि में पाईप लाईन डाली हुई है तथा चद्दर डाल कर एक कमरा बना हुआ है। ख0नं0 547/1 व 547 एवं 547 व 538 के मध्य पाल है। इस प्रकार वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सम्बधित पक्षकारो की उपस्थिति में बाद जांच तहसीलदार सोजत ने प्रस्तुत की है, शामिल मिसल है।

अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 05.10.2017 को अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर प्रार्थित ख0नं0 541, 542 व 543 के रास्ते ए से बी की मौका रिपोर्ट नाप चौप कर भिजवाये नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट डी0एल0सी0 दर तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में गलत तथ्य दर्शाते हुए पेश की, जिसकी पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। उक्त प्रा0 पत्र का जवाब प्रा0पत्र पेश कर अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उभय पक्षो को जरिए नोटिसेज देकर बाद सूचना भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी हल्का एवं मौताबिरान की उपस्थिति में मौके की वस्तुस्थिति की वास्तविक एंव रेकर्ड के आधार पर डी0एल0सी0 दर के अनुसार भूमि की कीमत संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे प्रा0पत्र प्रस्तुत धारा 151 सी0पी0सी0 का इस प्रकार मौका स्थिति व डी0एल0सी0 की पुनः सूचना/रिपोर्ट मंगवाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से प्रा0पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय प्रा0पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 सुनी गई। प्रस्तुत प्रा0पत्र ,जवाब प्रा0पत्र एवं दस्तावेजात तथा तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका स्थिति की वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन कर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रा0पत्र चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थिक मार्ग सुविधाजनक उपयोग एवं वैकल्पिक मार्ग की तुलना में अत्यधिक/ज्यादा लम्बा चाहा है। प्रार्थित रास्ते में सरकारी सम्पदा खड़ीन (छोटा बांध) की पाल बनी है। मौके की रिपोर्टानुसार ख0नं0 541 व 543 में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। बल्कि उक्त भूमि में पाईप लाईन डाली हुई एवं चद्दरो का एक कमरा बना हुआ होकर मौके पर फसल खड़ी है। वस्तुतः वर्तमान परिपेक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनः मौका जांच से सम्बद्ध उक्त धारा 151 सी0पी0सी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारिज योग्य है, लिहाजा खारिज किया जाता है।

बहस वकुलाय प्रा0पत्र धारा 251 ए आर0टी0एक्ट सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थित रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 541, 542 व 543 की भूमि में से 12 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने तथा अन्य वैकल्पिक/निकटतम रास्ता

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

अनुपलब्ध होने से आत्यांतिक रूप से उक्त रास्ता दिया जाना आवश्यक होने से रास्ता दिये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथन के सम्बन्ध मे कोई न्यायिक दृष्टान्त/नजीर पेश नही की। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी बताया कि तहसीलदार सोजत द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते मे प्रार्थी के घर से दूरी गांव से 6 कि0मी0 है जबकि चाहे गये रास्ते 'ए' से 'बी' सिर्फ 2 कि0मी0 है अतः चाहा गया नया रास्ता प्रार्थी के लिये निकटतम एवं सुविधाजनक है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निकटतम/वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से तथा प्रार्थित रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आने से चूँकि प्रार्थित रास्ता का सुविधाजनक उपयोग के लिए आवेदन किया गया है एवं वैकल्पिक रास्ते के साधन मौजूद है। जिससे अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होंने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अपने कथन के समर्थन मे अधिवक्ता प्रतिवादी ने आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 440, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 649, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 423, "वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता नही बनाया जा सकता, वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर विद्यमान मार्ग के अलावा प्रार्थी सीधे मार्ग का दावा नही कर सकता एवं कम दूरी का मार्ग उपलब्ध है तो लम्बी दूरी का मार्ग स्वीकृत नही किया जा सकता है" एवं "D.N.J.(Raj) 2017(1) Page 454, SBCW" रामलाल व अन्य बनाम ए.डी.जे नं0 03 चितौड़गड़ के निर्णय दि0 19.11.2016 की नजीर/न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया के अनुसार " वैकल्पिक रास्ता लम्बा व असुविधाजनक है। यह नही कहा जा सकता कि रास्ता उपलब्ध नही है, " पेश किये है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना – पत्र मय शपथ, जवाब प्रार्थना – पत्र एवं दस्तावेजात, तहसीलदार सोजत के नेतृत्व में पटवारी हल्का, भू. अ. नि. उपस्थित पक्षकारो एवं मौकाबिरानो के रूबरू मौका स्थिति की रिपोर्ट ( प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता एवं वर्तमान में मौके पर चालू रास्ता की स्थिति ) मय नजरी नक्शा तथा मौके स्थिति के छाया चित्र ( फोटोग्राफस ) एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उभयपक्षों की सुनी गई पर गौर कर मनन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि :– " (i) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है तथा प्रार्थी की भूमि ख0 नं0 547 व 547/1 के मध्य सरकारी खड़ीन (छोटा बांध) की पाल मौके पर मौजूद है, जो कि चाहे गये रास्ते में आती है जबकि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रस्तुत तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्टमय नजरी नक्शा एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छाया चित्रो के परिदृश्य से स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे / न्यायिक दृष्टान्त भी उचित चस्पां होते है। फलस्वरूप

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से उपस्थित नही हुए है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के मेन्डेटरी प्रोविजन को पूर्ण नही करने से पोषणीय नही होना पाया जाता है। लिहाजा खारिज किया जाना उचित समझते है।

## –: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से उपस्थित नही हुए है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नही करने से पोषणीय नही होना पाया जाता है लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को सरे ईजलाश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner